


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....693 / 2015..... जिलाअजमेर.....

उनवान : मैसर्स बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स, ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ब्यावर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/08/2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या 08/15-16/वैट/ब्यावर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.05.2015 के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, ब्यावर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2008-09 के लिये वैट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.01.2011 से सृजित कुल मांग राशि रूपये 6,82,126/- में से वसूली योग्य राशि रूपये 6,15,106/- की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 6,15,106/- की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी तथा विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में अवशेष बकाया शेष वसूली योग्य बकाया राशि रूपये 6,15,106/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p>	
	 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	